न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 105/2015
तारीख दायर : 26.10.2015

अनवान

1. मु0 नाराणी पत्नि रामचन्द्र जाति अहीर निवासी बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थीया....

बनाम

1. बाली पुत्री काना पत्नि हीरा जाति अहीर निवासी बरून्दनी हाल बांगला की झूपड़िया, नन्दराय तहसील कोटड़ी।
2. मोडी पुत्री काना पत्नि छोटु जाति अहीर निवासी बरून्दनी हाल बांगला की झूपडिया, नन्दराय तहसील कोटड़ी।
3. मु0 श्रृंगारी पत्नि काना जाति अहीर निवासी बरून्दनी हाल बांगला की झूपड़िया, नन्दराय तहसील कोटड़ी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण....

उपस्थित :–

1. श्री सावरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थीया)
2. श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली (अधिवक्ता विपक्षीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं सपठित धारा 151 जा0 दी0

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.12.2022

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 26.10.2015 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया कि उक्त शिर्षक का एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि काफी ठोस आधारों पर आधारित होने से प्रार्थीया उसमें अवश्य सफल होगी। न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक वादपत्र विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 22.01.2014 को अर्न्तगत धारा 88–188 रा0 का0 अधिनियम 1955 प्रार्थीया एवम विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जो कि प्र0स0 16/2014 पर दर्ज हुआ। बाद कार्यवाही प्रार्थीया का सम्मन हासिल होना मानकर उसके विरूद्ध दिनांक 13.05.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश हुआ दावे में विपक्षी संख्या 3 श्रृंगारी भी विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में होने से न्यायालय श्रीमान् में हाजिर अदालत नही हुई दिनांक 29.09.2015 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रार्थीया के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से दावा डिक्री कर दिया गया। प्रार्थनापत्र के बहस के बिन्दु निम्न है। (क) प्रार्थीया के दावे के सम्मन की प्रोपर तामिल नही हुई प्रार्थीया को तामिल कुन्निदा द्वारा जो सम्मन दिये गये थे उसमें केवल मात्र यह कहकर दिये कि आपके हस्ताक्षर कर दो तब प्रार्थीया ने तामिल कुन्निदा के कहे अनुसार हस्ताक्षर कर दिये, तामिल कुन्निदा ने प्रार्थीया को यह जानकारी नही दी कि उक्त सम्मन किसके है व कितनी तारीख को किस न्यायालय में उपस्थित होना है। प्रार्थीया अनपढ एवम ग्रामीण महिला एवम कानून की जानकारी नही होने से उक्त वादपत्र के सम्बन्ध में नही समझ सकी व सम्मन में किस दिनांक को न्यायालय में हाजिर होना उसके बारे में दिनांक अंकित नही की गई थी व दावे की नकले भी प्रार्थीया को प्राप्त नही हुई थी। (ख) तामिल कुनिन्दा वाद प्र0 स0 16/2014 राजस्व वाद के सम्मन लेकर प्रार्थीया के पास केवल मात्र हस्ताक्षर करवाने आया था किसी भी प्रकार के समन्स प्रार्थीया को नही दिये व नही समन्स पर तारीख पेशी अंकित कर प्रार्थीया को आगामी पेशी में न्यायालय के समक्ष नियत

ाने की सूचना एवम जानकारी दी। (ग) प्रार्थीया ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिला होने से कानून की जानकारी नही है समन्स की नकल एवम वाद की नकल प्रार्थीया को नही दी तथा दावे की जानकारी नही होने से प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष उपंसजाति हेतु पेशी की जानकारी नही होने प्रकरण संख्या 16/2014 राजस्व वाद की कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष हाजिर नही हो सकी। इस प्रकार प्रार्थीया पर सम्मन की तामिल सम्यक रूप से होना कदापि नही माना जा सकता है। प्रकरण में प्रार्थीया पर सम्मन की तामिल प्रोपर नही मानी जा सकती है एवम प्रार्थीया की अनुपस्थिति का कारण पर्याप्त एवम माकूल है। सम्मन न्यायालय में पेश है जिस पर प्रार्थीया के केवल मात्र हस्ताक्षर है किस दिनांक को न्यायालय में हाजिर होना है सम्मन पर तारीख भी अंकित नही है। साथ ही यह भी निवेदन है कि विपक्षीगण विपक्षी संख्या 1 से 3 ने भी प्रार्थीया को उनके द्वारा दिये गये दावे की जानकारी नही होने दी और जिस तरह से वादी/विपक्षी संख्या 1 व 2 ने विपक्षी संख्या 3 से मिलकर दुरभि संधि में निर्णय एवम डिक्री पारित की है। उसमें प्रार्थीया को पूर्ण रूप से आंशका है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 ने तामिल होने का असत्य पृष्ठाकंन करवा उसके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय एवम डिक्री प्राप्त की है। वादपत्र कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों के सम्बन्धित है वादग्रस्त कृषि भूमि पर वर्षो से प्रार्थीया का भौतिक कब्जा होकर काश्त करती चली आ रही है। विपक्षी संख्या 1 से 3 अवैध रूप से दुरभि संधि कर प्रार्थीया विधवा होने से उसको परेशान करने की नियत से लडाई झगडा कर उक्त कृषि भूमि का अवैध रूप से हथिया कर रहन विक्रय करने पर आमादा है। जबकि प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 से 3 को अच्छी तरह से रखना चाहती है एवम विपक्षी संख्या 3 की सेवा चाकरी करना चाहती है व विपक्षी संख्या 1 व 2 शादी सुदा होकर काफी वर्षो से अपने ससुराल में ही रहकर जीवन यापन कर रही है एवम प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 1 व 2 को सामाजिक परम्पराओ का निर्वहन मायरा काज करियावर में कपडे वगेरह भी चढाया गया है। यदि एक पक्षीय निर्णय एवम डिक्री को अपास्त नही किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 से 2 प्रार्थीया को उसके कब्जे काश्त की कृषि भूमि से उक्त एक पक्षीय निर्णय एवम डिक्री दिनांक 29.09.2015 की आड में बेदखल कर सकती है अथवा उसको बाधा या अवरोध पहुंचा सकती है। वादपत्र के तथ्यों एवम परिस्थितियों के मध्यनजर एवं डिक्री अपास्त करने के प्रार्थनापत्र में लगने वाले समय के मध्यनजर इस आशय का अंतरिम स्थगन प्रदान किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है। विपक्षी संख्या 1 व 2 दौराने कार्यवाही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य व्यक्ति विशेष से करावे। प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की आड में विपक्षी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी व्यक्ति विशेष को रहन विक्रय या अन्तरण नही करे या उस पर किसी प्रकार का भार कारित नही करे। प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में प्रार्थीया का प्राईमाफेशी केस होकर सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है इस आशय का अंतरिम स्थगन प्रार्थीया के पक्ष में दिया जाना आवश्यक एवम न्यायसंगत है। विपक्षी संख्या 1 व 2 विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द कर सकती है प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दंखलन्दाजी कर सकती है एवम किसी भी व्यक्ति विशेष को रहन विक्रय कर सकती है इस हेतु विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है प्रार्थीया को विपक्षीगण द्वारा रहन विक्रय बेदखली करने की स्थिति में प्रार्थीया को गंभीर अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का अंतरिम स्थगन पारित किया जावे कि ताफेसला प्रार्थनापत्र बाबत अपास्त कराने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2015 विपक्षीगण विवादित कृषि भूमि की रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे विवादित भूमि करे रहन विक्रय अंतरण नही करे व नाही किसी भी प्रकार से भार अंतरित करे प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे व नाही किसी अन्य व्यक्ति विशेष से करावे। ग्राम बरून्दनी पटवार हल्का बरून्दनी के खाता संख्या 798 के आ0स0 1284, 1286, 1287, 1288, 1294, 1445 कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि में रिकोर्ड एवं मौके व पूर्ण आदेश स्थगित रखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

दिनांक 26.10.2015 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन भेज तलब किया गया।

दिनांक 22.03.2017 को अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 श्रृंगारी पत्नि काना अहीर निवासी बरून्दनी हाल बांगला की झूपड़िया, नन्दराय तहसील कोटड़ी की मृत्यु हो जाने एवं प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 व 2 वारिस होने एवं अन्य कोई वारिस नही होने से विपक्षी संख्या 3 का नाम हटाये जाने बाबत् निवेदन किया, जिसपर अधिवक्ता विपक्षीगण ने कोई आपत्ति नही होना प्रार्थना पत्र में अंकित किया।

दिनांक 17.08.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता कैलाश चन्द्र तम्बोली द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रकरण संख्या 16/2014 में दिनांक 29.09.2015 को निर्णय डिक्री पारित की गयी है। वादपत्र की चरण संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है दिनांक 13.05.2014 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के बाद आगामी तारीख पेशीयां 27.08.2014, 09.09.2014, 27.01.2014, 24.12.2015, 11.05.2015, 04.08.2015, 25.08.2015, 16.09.2015, 29.09.2015 नियत की जाती रही है। प्रतिवादीयां, वादीया को सुनवाई का समुचित पर्याप्त अवसर दिया गया है। वादपत्र की चरण संख्या 3 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है। दावे की सम्मन प्रोपर तामिल हुए है। तामिल कुनिन्दा ने प्रोपर तामिल करवायी है। वादीया को कानून की समस्त जानकारी है। वादपत्र की चरण संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 गलत होकर अस्वीकार है। वादीया का वादपत्र मियाद बाहर है वादीया को वादपत्र पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नही है। वादपत्र विधि विरूद्ध होने से चलने योग्य नही है। वादपत्र पेश करने की कब नोइयत पेदा हुई है वाद हेतु अंकित नही है वादपत्र खारिज काबिल है। अतः वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर आये दस्तावेजों का अध्ययनोपरान्त, बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गम्भीरता से मनन किया वादपत्र संख्या 16/2014 में दिये गये सम्मन की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसे सम्मन तामिल हुआ था किन्तु यह स्पष्ट है कि उसे सम्मन पर किस तारीख को न्यायालय में उपस्थित होना है, यह अंकित नही था सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 6 में स्पष्ट है कि प्रतिवादी के उपसंजात होने का दिवस नियत होना चाहिए। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 जा0दी0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। डिक्री एवं निर्णय को निरस्त किया जाकर पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु तारीख पेशी पर लिया जाता है। एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम बरून्दनी पटवार हल्का बरून्दनी के खाता संख्या 798 के आ0 स0 1284, 1286, 1287, 1288, 1294, 1445 कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि में रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे व पूर्ण आदेश स्थगित रखा जावे। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी दिनांक 24.01.2023 को पेश हो।

आदेश आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं पत्रावली मूलवाद संख्या 16/2014 के साथ संलग्न रहे।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ